

पत्र संख्या- 1044 /5/सू0अ0अधि0/2023-24

दिनांक 25 मई, 2024

श्री नदीम उद्दीप,
कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां,
काशीपुर-244713,
उत्तराखण्ड।

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत अपने सूचना का अनुरोध-पत्र दिनांक 26-04-2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जो इस कार्यालय में दिनांक 30-04-2024 को प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना के अनुरोध-पत्र के द्वारा चाही गयी सूचना निम्नवत् है।

बिन्दु संख्या-3.1 उत्तराखण्ड में स्थित कारागारों में बन्दियों की क्षमता, कुल विचाराधीन बन्दियों एवं कुल सिद्धोष बन्दियों का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0स0	कारागार का नाम	क्षमता	कुल विचाराधीन बन्दियों की संख्या	कुल सिद्धोष बन्दियों की संख्या
1	जिला कारागार, देहरादून	580	907	369
2	जिला कारागार, हरिद्वार	888	684	566
3	जिला कारागार, नैनीताल	71	117	10
4	जिला कारागार, अल्मोड़ा	102	183	140
5	जिला कारागार, चमोली	169	83	41
6	जिला कारागार, टिहरी	150	106	81
7	जिला कारागार, पौड़ी	150	98	69
8	उप कारागार, हल्द्वानी	635	1310	140
9	उप कारागार, रुड़की	244	363	28
10	सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज	300	00	48
11	केन्द्रीय कारागार, सितारगंज	552	29	778

बिन्दु संख्या-3.2 से बिन्दु संख्या 3.4 तक- इन बिन्दुओं की वाँछित सूचना कारागार मुख्यालय में धारित नहीं है, वाँछित सूचना उत्तराखण्ड के समस्त कारागारों जिला कारागार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली, पौड़ी, उप कारागार हल्द्वानी (जनपद नैनीताल), उप कारागार, रुड़की (जनपद हरिद्वार), एवं केन्द्रीय कारागार/सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज (जनपद ऊधमसिंहनगर) से सम्बन्धित है। उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली-2013 की धारा-5(ग) में स्पष्ट प्रावधान हैं कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती हैं, तो अनुरोध-पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा, अतः वाँछित सूचना उक्त कारागारों के लोक सूचना अधिकारी से पृथक से प्राप्त कर सकते हैं।

यदि इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट न हो तो इस आदेश के प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी, जिनका नाम व पता निम्नवत् है, के कार्यालय में विभागीय अपील दायर कर सकते हैं।

विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम व पता-

श्री भारत चन्द,
अपीलीय अधिकारी/वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कार्यालय, महानिरीक्षक कारागार,
जिला कारागार, परिसर, सुदूरोवाला, देहरादून,

(मनाज खोलिया),
लोक सूचना अधिकारी/,
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।